म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक बी–6 / नियमन / अ.ना. / पार्ट–3 / 1456 भोपाल, दिनांक 27.05.2014

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट की स्थापना म0प्र0 रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से करायी जा रही है। इस संदर्भ में राज्य शासन की यह मंशा है कि एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों को सम्पादित किया जाये और इससे राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर वाले वाहनों को सुविधा हो तथा शासकीय कार्य भी पारदर्शी एवं गतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जा सकें।

एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट के लिए मंडी बोर्ड, आंचलिक कार्यालय एवं मंडी स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके नाम के सम्मुख दायित्वों का विवरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

1– श्री व्ही.के. वैष्णव, अधीक्षण यंत्री (परियेजना का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी) :–

अ– म0प्र0 सड़क परिवहन निगम से प्रदेश में स्थापित होने वाले विभिन्न एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्टों की प्रगति हेतु सतत् सम्पर्क रखना तथा प्रगति का मूल्यांकन करते हुए परियोजना की क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर कराना।

ब– परिवहन विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग के द्वारा एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट पर ऑन लाईन वाहनों की जांच के लिए तैयार किये गये कंप्युट्रिकृत बैकएण्ड प्रणाली का अध्ययन करते हुए **आगामी दो माह** में मंडियों द्वारा जारी अनुज्ञा पत्रों का इलेक्ट्रानिक पद्धति से जारी किये जाने, इनका एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट तथा आंचलिक कार्यालय, मंडी स्तर पर ऑन लाईन सत्यापन करने, एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से इसे जोड़ने आदि जैसे कार्य किये जायेंगे एवं इस हेतु म0प्र0 इलेक्ट्रानिक डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन या एन.आई.सी. से आवश्यक मार्गदर्शन एवं मदद नियमानुसार प्रक्रियाएं पूर्ण कर प्राप्त की जायेगी।

स– आंचलिक कार्यालय और मंडी समितियों से प्रत्येक दस दिवस में समीक्षा कर परियोजना की प्रगति एवं इसमें आने वाली बाधाओं का आंकलन किया जायेगा और आवश्यकतानुसार इन्हें शीघ्रातिशीघ्र दूर कराया जायेगा।

द– राज्य शासन को परियोजना की प्रगति से समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

ई– परियोजना से संबंधित अन्य वे सभी कार्य जो कि राज्य शासन की मंशा एवं निर्देशें को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हों।

फ– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य कार्यवाही।

2– समस्त उपसंचालक एवं संयुक्त संचालक, आंचलिक कार्यालय (परियोजना के आंचलिक नोडल अधिकारी) :–

अ– आंचलिक कार्यालय के कार्य क्षेत्र में स्थापित/स्थापित किये जा रहे एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट पर मंडी स्तर के नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कराना कि राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर अधिसूचित कृषि उपज के साथ आने/जाने वाले वाहनों का सत्यापन/ जानकारी का संकलन ऑन लाईन नियमित रूप से किया जाये।

ब– एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट पर संकलित दैनिक जानकारी का विश्लेषण, संबंधित मंडी समितियों को उपरोक्त के उपरान्त आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाना तथा संबंधित आंचलिक कार्यालयो को दैनिक जानकारी प्रदान करना ।

स– मंडी बोर्ड स्तर पर नामांकित नोडल अधिकारी से परियोजना की प्रगति के लिए सतत् सम्पर्क रखते हुए उन्हें परियोजना की साप्ताहिक प्रगति से निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्रदान करना।

द– राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड को परियोजना की प्रगति से समय–समय पर अवगत कराया जायेगा।

ई– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य कार्यवाही।

3– मंडी सचिव जिनकी मंडी के कार्य क्षेत्र में एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट स्थापित है (परियोजना के मंडी स्तर के नोडल अधिकारी) :–

अ– मंडी समिति के कार्य क्षेत्र में स्थापित/स्थापित किये जा रहे एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट पर व्यवस्थाओं को स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कराना कि राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर अधिसूचित कृषि उपज के साथ आने/जाने वाले वाहनों का सत्यापन/ जानकारी का संकलन ऑन लाईन नियमित रूप से किया जाये।

ब– एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट पर संकलित दैनिक जानकारी का विश्लेषण, संबंधित मंडी समितियों एवं आंचलिक कार्यालयों को इस जानकारी का दैनिक सम्प्रेषण।

स– एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट का दैनिक निरीक्षण तथा वहां पर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू बनाये रखना तथा अन्य विभागो एवं एकीकृत बॉर्डर चेकपोस्ट के प्रबंधको से सतत समन्वय।

द– मंडी बोर्ड एवं आंचलिक कार्यालय स्तर पर नामांकित नोडल अधिकारी से परियोजना की प्रगति के लिए सतत् सम्पर्क रखते हुए उन्हें परियोजना की साप्ताहिक प्रगति से निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी प्रदान करना।

ई– मंडी बोर्ड एवं आंचलिक कार्यालयों को परियोजना की प्रगति से प्रत्येक दस दिवस मे अवगत कराया जायेगा।

फ– उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर प्रबंध संचालक महोदय के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य कार्यवाही।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

(प्रबंध संचालक द्वारा अनुमोदित।)

Sd/-
(ए0पी0एस0 सोलंकी)
अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक बी–6/नियमन/अ.ना./पार्ट–3/1457 भोपाल, दिनांक 27.05.2014

1– श्री व्ही.के. वैष्णव, अधीक्षण यंत्री, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर पालनार्थ।

2– संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय .... की ओर पालनार्थ।

3– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ....की ओर पालनार्थ।

4– अपर संचालक ..../संयुक्त संचालक../ मुख्यअभियन्ता ....म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5– चीफ प्रोग्रामर, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल